स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्या: 41, दिनांक: 26–01–2025

अन्तर्राज्यीय स्तर पर प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्करी करने वाले गिरोह का 02 अभियुक्त गिरफ्तार, उसके कब्जे से 390 जिन्दा कछुए बरामद

दि0–26–01–2025 को एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को मैनपुरी में प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्तरी करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 390 जिन्दा कछुए बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण:

1. उत्तम दास पुत्र स्व0 दीपक दास निवासी ट्रांजिट कैंप, रूद्रपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।
2. सलीम पुत्र जमील अहमद निवासी दूधिया नगर खेड़ा, बार्ड नं0 5 उधम सिंह नगर, उत्तराखण्ड।

बरामदगी:–

1– 390 प्रतिबन्धित प्रजाति के जिंदा कछुये।
2– 01 अदद आधार कार्ड ।
3– 01 अदद उत्कर्ष बैंक का एटीएम कार्ड।
4– 01 अदद एक्सिस बैंक का एटीएम कार्ड
5– एक अदद टाटा सफारी यूपी 16 एडी 7500।
6– 01 अदद मोबाइल।

गिरफ्तारी का दिनांक एवं स्थान/समय:–

दिनांक 26.01.2025 समय करीब 04:20AM बजे, जैन इण्टर कॉलेज, करहल, मैनपुरी।

विगत दिनों से एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्जीय तस्करों के सक्रिय होने की सूचनाएं प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके अनुपालन में श्री दिनेश कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक, एस0टी0एफ0, उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, एस0टी0एफ फील्ड इकाई, कानपुर द्वारा टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी तथा अभिसूचना तन्त्र को सक्रिय किया गया।

अभिसूचना संकलन के दौरान सूचना प्राप्त हुई कि प्रतिबंधित प्रजाति के कछुओं को मैनपुरी के विभिन्न स्थानों से इक्ठठा करके टाटा सफारी गाड़ी से एटा, बरेली होते हुये उत्तराखण्ड ले जा रहे हैं। इसी क्रम में मुखबिर की सूचना पर तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए उ0नि0 विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में एक टीम गठित कर मुखबिर द्वारा बताई गयी सूचना पर वन क्षेत्राधिकारी रेंज मैनपुरी से समन्वय स्थापित कर मुखबिर की निशादेही पर दि0–26–01–2025 को समय लगभग सुबह 04:20 बजे जैन इण्टर कॉलेज, करहल, मैनपुरी से एक टाटा सफारी यूपी 16 एडी 7500 से दो व्यक्तियों को मय टाटा सफारी के गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 11 बोरो में 390 जिन्दा प्रतिबंधित प्रजाति के कछुए बरामद हुए है।

गिरफ्तार अभियुक्तों ने सामूहिक रूप से पूछताछ में बताया कि हम लोग काफी समय से पूर्व से कछुओं की तस्करी कर रहे है। अशोक कुमार जो मैनपुरी के रहने वाले है उन्ही से

कछुओ को लेकर शक्ती फार्म, सितारगंज, उत्तराखण्ड जा रहा था, कि आप लोगों द्वारा पकड़ लिया गया है। गिर0 अभियुक्त उत्तम ने बताया कि विवेक सितारगंज उत्तराखण्ड से कछुओं की तस्करी करने के लिय 80000.00 रूपये में बात तय हुयी थी। विवेक उपरोक्त ने बताया था, तस्करी किये जाने वाले प्रतिबंधित कछुओं का मीट खाने में एवं शक्ति वर्धक दवाई बनाने में प्रयोग किया जाता है। उत्तम वर्ष 2024 में कछुओ की तस्करी करने में जेल जा चुका है।

अशोक कुमार की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे हैं। गिरफ्तार अभियुक्तों को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा–2, (16ख) 9, 39, 48, 498, 50, 51, 57 व भा0 वन अधि0 की धारा 52क, के अर्न्तगत क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी रेंज वन प्रभाग, मैनपुरी के सुपुर्द किया गया। क्षेत्रीय वन अधिकारी मैनपुरी रेंज वन प्रभाग, द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।